



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1939 (श0)

(सं0 पटना 10) पटना, मंगलवार, 2 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

2 जनवरी 2018

एस० ओ० 04, दिनांक 2 जनवरी 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु जहां उक्त विवरणी में राज्य कर के स्थान पर देय कुल रकम शून्य है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं0सं0-ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017(खंड-I)-14)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

2 जनवरी 2018

एस०ओ० 04, दिनांक 2 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0-ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017(खंड-I)-14)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 2nd January 2018

S.O. 04 Dated 2nd January 2018—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount payable in lieu of state tax in the said return is nil, the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the said return by the due date shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from 29 December, 2017.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-I)-14)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 10-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>